संख्या-713/81-2-2020-800(43)/2020

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक, अक्टूबर,2020

विषय:- जनपद प्रयागराज में रा0मा0 96 के किमी0 135.500 से किमी0 153.330 के मध्य चौडीकरण में प्रभावित 18.0103 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1415 वृक्षों के पातन की अनुमति।(प्रस्ताव सं0- एफपी/यूपी/रोड/21857/2016)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सख्या-1843/11-सी-एफपी/यूपी/रोड/21857/2026, दिनांक 12-3-2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद प्रयागराज में रा0मा0 96 के किमी0 135.500 से किमी0 153.330 के मध्य चौडीकरण में प्रभावित 18.0103 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1415 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु **भारत सरकार के पत्र सं0- 8बी/यूपी/ 06/44/2019/एफ0सी0/130, दिनांक 19.6.2019 तथा पत्र सं0- 8बी/यूपी/06/44/2019/एफ0सी0/580, दिनांक 03.03.2020 द्वारा निर्गत क्रमश: सैद्धातिक स्वीकृति एवं विधिवत स्वीकृति तथा राज्य सरकार की शर्तों/प्रतिबन्धों एवं** मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों को सम्मिलित करते हुए एतद्द्वारा अनुमति आदेश निर्गत किये जाते हैं–

1. Legal status of the Forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 36.0206 ha. Degraded forest land (Compartment /Khasra no- Not provided, village- Not provided, Tehsil- Not provided, District-Allahabad) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. The User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Enviromental (Protection), Act,1986, if applicable.
4. User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number to the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be dipositiod by the User Agency with the State Forest Department
5. **The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.**
6. No labour camp shall be established on the forest land.
7. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

http://shasanadesh.up.gov.in

8 User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms

9 **Speed regulating sighnage will be rected along the road the at regular intervals in the Protected Areas/Forest areas.**

10 **The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Areas /Areas as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC/**

11. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated in ground at the project cost, as per the directions of the concerned Division Forest Officer.

12 No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

13. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstance be transferred to any other agencies, department or person with out prior approval of Govt. Of India.

14. प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा मा0 एन0जी0टी0 सेन्ट्रल जोन बेच भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16-11-2015 में दिये गये आदेश की अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरुफ तथा Meddian पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।

15. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

16 Any other condition that the ministry of Environment, Forests & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.

17 विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक Backward एण्ड Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जायेगी।

18 प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू-स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

19. मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

20. प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

21. उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु अवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके

http://shasanadesh.up.gov.in

किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

22 वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

23. प्रयोक्ता अभिकरण को यह वचनबद्धता देनी होगी कि यदि एन0पी0वी0 की धनराशि में इस अवधि में वृद्धि होती है तो इसका भुगतान किया जायेगा।

24. भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया जायेगा ।

25. यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर लिया जायेगा ।

26. समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

27 प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक बृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग,फैलिंग,लागिंग एवं ट्रान्सपोट्रेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। बृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक-5-1/2007-एफसी, दिनांक 11-12-2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।

28 उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-713 (1)/81-2-2020-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हेतु है-

(1)- उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,क्षेत्रीय कार्यालय,केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार,लखनऊ।
(2)- जिलाधिकारी, प्रयागराज।
(3) वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 प्रयागराज।
(4)- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रयागराज।
(5) अधिशासी अभियंता एन0एच0 1 डिवीजन, लोक निर्माण विभाग प्रयागराज।
(6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in